न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया, IAS जिला कलक्टर, कोटा
प्रकरण संख्या 05/2025

श्री गणेश प्रसाद कानोडिया, लाइसेंसी– आनन्द ट्रेडर्स अस्त्र–शस्त्र
विकेता 15/284–सिविल लाइन्स कानपुर–208001 (उ0प्र0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 02.07.2025

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री गणेश प्रसाद कानोडिया, लाइसेंसी– आनन्द ट्रेडर्स अस्त्र–शस्त्र विकेता 15/284–सिविल लाइन्स कानपुर–208001 (उ0प्र0) ने दिनांक 21.03.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन जरिये डाक प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई –

1. जिला कोटा के सभी वर्तमान में कार्यरत अस्त्र शस्त्र विकेताओं के नाम, उनके पूरे पते एवं उनके सम्पर्क (दूरभाष / मोबाइल) नम्बरों की पूर्ण जानकारी से प्रार्थी को जल्द से जल्द अवगत कराने का कष्ट करें ।

उक्त सूचना नहीं मिलने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.06.2025 को प्रथम अपील जरिये डाक द्वारा भिजवाई गई जो दिनांक 17.6.2025 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा से टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक/ रीडर/ डीएम/ 2025/176 दिनांक 19.6.2025 से लिखा गया तथा अपीलार्थी को भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्रांक/177 दिनांक 19.6.2025 से लिखा गया किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपने पत्रांक/प्रथम अपील/प–91/2025/211 दिनांक 24.6.2025 से प्रकरण में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन में वांछित सूचना का संबंध न्याय अनुभाग से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को को पत्र लिखा गया । न्याय अनुभाग के पत्रांक/341 दिनांक 24.4.2025 के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट होने के कारण अवलोकन हेतु लिखा गया जिससे आवेदक वांछित सूचना का चिन्हिकरण कर कार्यालय को अवगत कराये तो सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाई जा सकें । तत्पश्चात आवेदक को सूचना अनुभाग के पत्रांक/118 दिनांक 25.4.2025 से अवगत करा दिया गया किन्तु आदिनांक तक आवेदक द्वारा अवलोकन नहीं किया गया । चूंकि आवेदक को अवगत कराने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है । अपील खारिज हेतु निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2025 का अवलोकन किया, जिसमें आवेदक द्वारा कोटा जिले के सभी वर्तमान में कार्यरत अस्त्र–शस्त्र विकेताओं के नाम व पते की सूचना चाही गई थी, किन्तु न्याय अनुभाग द्वारा प्रार्थी अपीलांट को पत्रावली का अवलोकन, एवं चिन्हिकरण करने हेतु लिखा गया है तथा सूचना चिन्हिकरण के उपरान्त ही सूचना दिया जाने का अंकन किया है । आवेदनकर्ता द्वारा भी न्याय अनुभाग में आकर सूचना का चिन्हिकरण नहीं किया गया है । साथ ही आवेदक अपीलांट द्वारा तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी नाम, पते, सम्पर्क नम्बर आदि सूचना चाही गई है, ऐसी स्थिति में किसी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना दी जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (छ) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से दिया जाना उचित नहीं पाते है । अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 2.7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा